न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2190–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–3–2013 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन प्रकरण कमांक 2/अ–21/2011–12.

---

1 मोहन सिंह पिता भारत सिंह
निवासी महेश्वर जिला खरगोन म0 प्र0
2 सोहन सिंह पिता भारत सिंह
निवासी महेश्वर, जिला खरगोन
3 मायाबाई पति भूरेसिंह
निवासी ग्राम पलसूद तहसील महेश्वर
जिला खरगोन
4 कोमलबाई पति नरेन्द्र
निवासी ग्राम देवलरा, तहसील महेश्वर
जिला खरगोन

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रामेश्वर पिता ऐडूजी
निवासी महेश्वर जिला खरगोन

.....अनावेदक

श्री पी0 एस0 जोक, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 5 जून, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 26–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक रामेश्वर द्वारा कलेक्टर, खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 165 (6) के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश

दिनांक 30–11–2010 के पालन में ग्राम महेश्वर तहसील महेश्वर स्थित भूमि सर्वे कमांक 61/2 रकबा 0.081 एवं सर्वे कमांक 61/4 रकबा 0.202 हैक्टेयर भूमि के कय करने की अनुमति चाही गई । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–21/2011–12 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 26–3–2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर के पिटीशन कमांक 6/2009 में आवेदक/अनावेदक रहे पक्षकारगण सक्षम न्यायालयीन कार्यवाहियों के आदेश के कम में ही आगामी कार्यवाही संपादित करेंगे । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 165 (6) के तहत विकेता द्वारा भूमियों के विकय करने की अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है, जबकि इस प्रकरण में केता द्वारा भूमि कय करने की अनुमति चाही गई है, जिसे प्रदान करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा इसी आधार पर कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रकरण में अनावेदक के सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30–11–10 से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि के कय करने की अनुमति हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का उपचार प्रदान किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में ही अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30–11–2010 का विस्तृत रूप से हवाला देते हुये एवं उभयपक्ष के समक्ष प्रचलित व्यवहार वाद में पारित आदेशों का उल्लेख करते हुये उनके प्रकाश में प्रश्नाधीन भूमियों के विकय की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि संहिता की धारा 165 (6) के प्रावधान के अनुरूप विकेता को अनुमति लेना चाहिये थी, परन्तु कलेक्टर द्वारा केता को अनुमति देने में

विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आदेश पारित किया गया है। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–3–2013 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर